

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 38/2019

दायर दिनांक : 20.09.2019

आदेश दिनांक : 08.09.2025

श्री जैनेन्द्र कुमार डांगी पिता श्री लक्ष्मीलाल जी डांगी, निवासी ए-22, सौरभ नई आबादी, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) - प्रार्थी

बनाम

1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ईकाई, 6ए-1, आर. सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. राजस्थान राज्य, जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, राजसमन्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.) - विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956

उपस्थित :-

श्री महेश पगारिया, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री विनोद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02
श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 03

:: निर्णय ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 3 जी उपधारा 5 के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से विपक्षी संख्या 3 द्वारा 3D अधिसूचना क्रमांक 3014 दिनांक 04/10/2013 में पारित एवार्ड दिनांक 17/03/2017, 27/01/16 से असन्तुष्ट होकर क्षतिपूर्ति पुनः निर्धारण कर क्षतिपूर्ति राशि बढ़ोतरी हेतु निम्नलिखित निवेदन हैं कि विपक्षी संख्या 3 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (राजसमन्द-भीलवाड़ा सेक्शन) चार लेन सड़क निर्माण परियोजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में प्रार्थी की ग्राम जावद, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित खसरा संख्या 1035 रकबा 0.2118 हैक्टर किस्म आवासीय भूमि अवाप्ति में प्रार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने के उपरान्त भी विपक्षी संख्या 3 द्वारा पारित अवाप्ति आदेश एवं एवार्ड अत्यल्प व विधि विरुद्ध होकर अपास्त किये जाने योग्य हैं। उक्त आराजी में प्रार्थी का 13/28 वां हिस्सा है। कुल अवाप्त भूमि 2118 वर्गमीटर में से प्रार्थी की 13/28 अर्थात् 983.37 वर्गमीटर भूमि ली गई है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि जरिये भूमि रूपान्तरण पट्टा

deh



संख्या 381 दिनांक 21/08/2002 (पंजीकृत) अवासीय रूपान्तरित हैं, फिर भी उसका कृषि भूमि के आधार पर आलौच्य एवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 3 के यहां विधि अनुसार आपत्तियां एवं क्लेम मय दस्तावेजों की फोटो प्रति प्रस्तुत किये गये। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि के मूल्यांकन के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से एक क्लेम याचिका विपक्षी संख्या 3 के यहां प्रस्तुत की गई, किन्तु विपक्षी संख्या 3 ने उन्हें नजर अन्दाज करते हुए प्रार्थी को बिना सूचित किये एवं बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्रार्थी की अनुपस्थिति में एवं बिना मौके का पर्चा मौका बनाये ही विधि विरुद्ध उक्त पत्रावली में दिनांक 17/03/2017 को आधारहीन, वास्तविक तथ्यों से परे एवं मौके की स्थिति को नजर अन्दाज करते हुए मनमाफिक रूप से एवार्ड की राशि की गणना कर अनरिजन्ड (Un-reasoned) आलौच्य एवार्ड पारित कर प्रार्थी को चैक जरिये ठेकेदार के कर्मचारी प्रेषित कर दिया गया। उपरोक्त एवार्ड राशि कृषि मानकर दी गई है, जबकि अवाप्तशुदा भूमि आवासीय रूपान्तरित है। इस कारण से प्रार्थी ने अपने विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए अण्डर प्रोटेस्ट उपरोक्त राशि को प्राप्त किया। उक्त अवाप्तशुदा भूमि राजसमन्द के उपनगर जावद में भीलवाड़ा से उदयपुर फोर लेन मुख्य मार्ग पर व्यवस्ततम क्षेत्र में स्थित है तथा उक्त आराजी बेशकीमती एवं आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित है, जिससे प्रार्थी की उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा तत्समय बाजार मूल्य 1,200/- प्रति वर्गफीट की दर से भी अधिक है। प्रार्थी को इस दर से 5 गुणा अधिक राशि का एवार्ड प्रदान किया जाना चाहिए था। साथ ही प्रार्थी उक्त राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त एवार्ड भी कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी के आवासीय भूखण्ड का अधिकांश भाग अवाप्त किया गया है, जिसे शेष बचे हुए भूखण्ड का भाग इतना कम है कि उसका प्रार्थी द्वारा सम्यक एवं उचित रूप से उपयोग-उपभोग नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थी द्वारा उक्त रूपान्तरण अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ते के लिये जो भूमि छोड़ी गई है, उसे भी अवाप्त किया गया है। प्रार्थी इस भूमि का भी मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है, वस्तुतः प्रार्थी की कुल आवासीय भूमि में से 2000 वर्गफीट भूमि अवाप्ति में ली गई है। इस आवासीय भूखण्ड का बाजार मूल्य ₹ 1,200/- प्रति वर्गफीट की दर से भी अधिक है। उक्त आधारों पर प्रार्थी निम्नानुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है भूखण्ड का बाजार मूल्य 2000 वर्गफीट X 1200 = 24,00,000/- शेष भूखण्ड के समुचित उपयोग-उपभोग से वंचित होने के मद में 1,00,000/- बाउण्ड्री वॉल एवं पैड़ इत्यादि 1,00,000/- मानसिक संताप के मद में 4,00,000/- कुल 30,00,000/- इस भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 व प्रभावी अवाप्ति अधिनियम के अनुसार देय समस्त अनुतोष की मांग प्रार्थी करता है अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदन-पत्र में वर्णित अनुसार मुआवजा बढ़ोतरी कर प्रार्थी को संशाधित राशि मय ब्याज व खर्चा दिलायी जावे

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा ने उपस्थिति दी, विपक्षी संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी तथा विपक्षी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीश तिवारी ने उपस्थिति दी। अधीनस्थ कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

Deh



विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु प्रार्थी सहित अन्य सह-खातेदारों की ग्राम जावद, तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित खसरा नम्बर 1035 में से 0.2118 हैक्टेयर किस्म कृषि भूमि अवाप्त की गयी है, ना कि आवासीय भूमि अवाप्त की गयी है, जो कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज तथ्यों के आधार पर राष्ट्रीय सम्बोधित किया जावेगा) की धारा 3ए व 3डी कमशः दिनांक 28.12.2018 व 04.10.2013 को जारी अधिसूचना के अवलोकन से ही जाहिर हो जाता है। तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी ने नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुये अवाप्त कृषि भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण करने बाबत उप-पंजीयक से अधिनियम 1956 की धारा 3जी (7) (ए) के प्रावधानों की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 28.12.2018 को जिला स्तरीय समीति द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य 600.07/- रूपयें वर्गमीटर प्राप्त कर भूमि की कुल मुआवजा राशि 12,70,948/- रूपयें का व अवाप्त भूमि पर स्थित संरचना की कुल मुआवजा राशि 6,42,732/-रूपयें का शामलाती अवार्ड दिनांक 25.07.2014 को पारित कर दिया गया। जवाबदाता की ओर से सम्बधित भू-स्वामियों को भुगतान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को उपरोक्त भूमि व संरचना की मुआवजा राशि हस्तान्तरित चुकी है, जिसके उपरान्त प्रार्थी ने संरचना की मुआवजा राशि 56,912/- रूपये का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है प्रार्थी ने स्वयं के हिस्से की अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान भी प्राप्त कर लिया है, इसलिए प्रार्थी को अब कोई मुआवजा राशि का भुगतान करना शेष नहीं है। धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 28.12.2018 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज तथ्यों के अनुसार अवाप्त कृषि भूमि की प्रचलित दर प्राप्त कर मुआवजा राशि का निर्धारण करते हुये दिनांक 25.07.2014 को शामलाती अवार्ड पारित कर दिया गया, जो कि विधि के प्रावधानों के अनुसार सही एवं उचित है। प्रार्थी को अधिनियम 1956 के समस्त लाभ दिये गये है, इसलिए प्रार्थी अन्य कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। RFCTLARR ACT 2013 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अनुसूची को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 पर दिनांक 01.01.2015 से लागू किया गया है अर्थात् दिनांक 01.01.2015 के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पारित अवार्डों में ही RFCTLARR ACT 2013 की प्रथम, द्वितीय, तृतीय अनुसूची के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण जायेगा और ऐसे प्रकरण जिनमें अवाप्त भूमि के मुआवजे का अवार्ड 01.01.2015 से पूर्व अर्थात् 31.12.2014 तक पारित कर दिये गये है, उनमें RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। हस्तगत प्रकरण में अवाप्त भूमि का अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत दिनांक 25.07.2014 को ही अवार्ड पारित कर दिया गया, ऐसे में RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते है, जिसके कारण प्रार्थी RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के तहत कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 3 ने नियमानुसार राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की स्थिति संरचना की नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एवं उस पर नियमानुसार देय मुआवजे की गणना की जाकर मुआवजा राशि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण द्वारा जारी की जाकर विपक्षीगण द्वारा अदायगी की गयी है। प्रार्थी को नियमानुसार मुआवजा राशि जारी की गयी है। प्रार्थी को नियमानुसार मुआवजा राशि जारी की गयी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र विरुद्ध विपक्षीगण सव्यय निरस्त फरमाया जावें। प्रार्थीगण ने हस्तगत उक्त प्रार्थना-पत्र जानकारी होते हुये भी विलम्ब से प्रस्तुत किया है, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र सव्यय खारीज योग्य होने से सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

Sh



उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम जावद, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित खसरा संख्या 1035 रकबा 0.2118 हैक्टर किस्म आवासीय भूमि अवाप्ति में प्रार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने के उपरान्त भी विपक्षी संख्या 3 द्वारा पारित अवाप्ति आदेश एवं एवार्ड अत्यल्प व विधि विरुद्ध होकर अपास्त किये जाने योग्य हैं। उक्त आराजी में प्रार्थी का 13/28 वां हिस्सा है। कुल अवाप्त भूमि 2118 वर्गमीटर में से प्रार्थी की 13/28 अर्थात् 983.37 वर्गमीटर भूमि ली गई है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि जरिये भू. रू. पट्टा संख्या 381 दिनांक 21/08/2002 (पंजीकृत) आवासीय रूपान्तरित है, फिर भी उसका कृषि भूमि के आधार पर आलौच्य एवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 3 के यहां विधि अनुसार आपत्तियां एवं क्लेम मय दस्तावेजों की फोटो प्रति प्रस्तुत किये गये। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि के मूल्यांकन के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से एक क्लेम याचिका विपक्षी संख्या 3 के यहां प्रस्तुत की गई, किन्तु विपक्षी संख्या 3 ने उन्हें नजर अन्दाज करते हुए प्रार्थी को बिना सूचित किये एवं बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्रार्थी की अनुपस्थिति में एवं बिना मौके का पर्चा मौका बनाये ही विधि विरुद्ध उक्त पत्रावली में दिनांक 17/03/2017 को आधारहीन, वास्तविक तथ्यों से परे एवं मौके की स्थिति को नजर अन्दाज करते हुए मनमाफिक रूप से एवार्ड की राशि की गणना कर अनरिजन्ड (Un-reasoned) आलौच्य एवार्ड पारित कर प्रार्थी को चौक जरिये टेकेदार के कर्मचारी प्रेषित कर दिया गया। उपरोक्त एवार्ड राशि कृषि मानकर दी गई है, जबकि अवाप्तशुदा भूमि आवासीय रूपान्तरित है। इस कारण से प्रार्थी ने अपने विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए अण्डर प्रोटेस्ट उपरोक्त राशि को प्राप्त किया। उक्त अवाप्तशुदा भूमि राजसमन्द के उपनगर जावद में भीलवाड़ा से उदयपुर फोर लेन मुख्य मार्ग पर व्यवस्ततम क्षेत्र में स्थित है तथा उक्त आराजी बेशकीमती एवं आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित है, जिससे प्रार्थी की उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा तत्समय बाजार मूल्य 1,200/- प्रति वर्गफीट की दर से भी अधिक है। प्रार्थी द्वारा उक्त रूपान्तरण अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ते के लिये जो भूमि छोड़ी गई है, उसे भी अवाप्त किया गया है। प्रार्थी इस भूमि का भी मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है, वस्तुतः प्रार्थी की कुल आवासीय भूमि में से 2000 वर्गफीट भूमि अवाप्ति में ली गई है। इस आवासीय भूखण्ड का बाजार मूल्य 1,200/- प्रति वर्गफीट की दर से भी अधिक है। उक्त आधारों पर प्रार्थी निम्नानुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है भूखण्ड का बाजार मूल्य 2000 वर्गफीट x 1200 = 24,00,000/- शेष भूखण्ड के समुचित उपयोग-उपभोग से वंचित होने के मद में 1,00,000/- बाउण्ड्री वाल एवं पैड़ इत्यादि 1,00,000/- मानसिक संताप के मद में 4,00,000/- कुल 30,00,000/- इस भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 व प्रभावी अवाप्ति अधिनियम के अनुसार देय समस्त अनुतोष की मांग प्रार्थी करता है अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उपरोक्तानुसार मुआवजा बढ़ोतरी कर प्रार्थी को संशाधित राशि मय ब्याज व खर्चा दिलायी जावे

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु प्रार्थी सहित अन्य सह-खातेदारों की ग्राम जावद, तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित खसरा नम्बर 1035 में से 0.2118 हैक्टेयर किस्म कृषि भूमि अवाप्त की गयी है, ना कि आवासीय भूमि अवाप्त की गयी है, सक्षम प्राधिकारी ने नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुये अवाप्त कृषि भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण करने बाबत् उप-पंजीयक से अधिनियम 1956 की धारा 3जी (7) (ए) के प्रावधानों की

Dea



अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 28.12.2018 को जिला स्तरीय समीति द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य 600.07/- रूपयें वर्गमीटर प्राप्त कर भूमि की कुल मुआवजा राशि 12,70,948/- रूपयें का व अवाप्त भूमि पर स्थित संरचना की कुल मुआवजा राशि 6,42,732/- रूपयें का शामलाती अवार्ड दिनांक 25.07.2014 को पारित कर दिया गया। भू-स्वामियों को उपरोक्त भूमि व संरचना की मुआवजा राशि हस्तान्तरित की जा चुकी है, जिसके उपरान्त प्रार्थी ने संरचना की मुआवजा राशि 56,912/- रूपये का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है प्रार्थी ने स्वयं के हिस्से की अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान भी प्राप्त कर लिया है, इसलिए प्रार्थी को अब कोई मुआवजा राशि का भुगतान करना शेष नहीं है। अधिनियम 1956 की धारा 3 ए की अधिसूचना दिनांक 28.12.2018 को प्रार्थी की अवाप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज थी। प्रार्थी को अधिनियम 1956 के समस्त लाभ दिये गये हैं, इसलिए प्रार्थी अन्य कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। RFCTLARR ACT 2013 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अनुसूची को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 पर दिनांक 01.01.2015 से लागू किया गया है अर्थात् दिनांक 01.01.2015 के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पारित अवार्डों में ही RFCTLARR ACT 2013 की प्रथम, द्वितीय, तृतीय अनुसूची के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण जायेगा और ऐसे प्रकरण जिनमें अवाप्त भूमि के मुआवजे का अवार्ड 01.01.2015 से पूर्व अर्थात् 31.12.2014 तक पारित कर दिये गये हैं, उनमें RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। हस्तगत प्रकरण में अवाप्त भूमि का अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत दिनांक 25.07.2014 को ही अवार्ड पारित कर दिया गया, ऐसे में RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं, जिसके कारण प्रार्थी RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के तहत कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि विपक्षी संख्या 3 ने नियमानुसार राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की स्थिति संरचना की नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एवं उस पर नियमानुसार देय मुआवजे की गणना की जाकर मुआवजा राशि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण द्वारा जारी की जाकर विपक्षीगण द्वारा अदायगी की गयी है। प्रार्थी को नियमानुसार मुआवजा राशि जारी की गयी है। प्रार्थी को नियमानुसार मुआवजा राशि जारी की गयी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र विरुद्ध विपक्षीगण सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्व अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का धोईन्दा कि रिपोर्ट संलग्न है। इस रिपोर्ट के अनुसार खातेदार जैनेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मीलाल डांगी निवासी कांकरोली के नाम जमाबन्दी में भूमि दर्ज है। तथा प्रार्थी की भूमि 0.0133 हैक्टेर अवाप्त किया गया है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में कृषि भूमि है। परन्तु जैनेन्द्र कुमार को भी पूर्व प्रेषित रिपोर्ट अनुसार नगर पालिका राजसमन्द द्वारा पट्टा संख्या 381 दिनांक 21.08.2002 को आवासीय का जारी कर दिया गया। परन्तु राजस्व रेकार्ड में जैनेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मीलाल डांगी का नाम दर्ज नहीं है। पटवारी की इस रिपोर्ट का प्रसंज्ञान लेते हुए भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो अवार्ड दिनांक 27.01.2016 को जारी किया गया। उसमें उसकी भूमि को जमाबन्दी अनुसार कृषि भूमि मानते हुए उसका अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया जाना पाया जाता है। यह अवार्ड दिनांक 27.01.2016 को जारी किया गया है। अर्थात् यह अवार्ड दिनांक 01.01.2015 के




(Handwritten signature)

बाद जारी किया गया है। भारत सरकार के न्याय एवं विधि मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 31.12.2014 के अनुसार दिनांक 01.01.2015 के बाद जारी होने वाले अवार्ड RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के अनुसार जारी किये जाने चाहिए परन्तु इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द द्वारा जो अवार्ड जारी किया गया है। उस अवार्ड में RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया है। ऐसा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट होता है। साथ ही क्योंकि भूमि अवाप्त किये जाने से पहले ही नगरपालिका द्वारा आवासीय भूमि के रूप में रूपान्तरित की जा चुकी है। उसके पश्चात भी जमाबन्दी के अनुसार कृषि भूमि का मुआवजा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि जो भी आवासीय पट्टे नगरपालिका द्वारा जारी कर दिये जाते हैं उसका राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाना राजस्व अधिकारी व कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है। इसमें प्रार्थी का कोई दोष नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।


:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रार्थी कि अवाप्तशुदा भूमि कि किस्म के बारे में नगरपालिका राजसमन्द द्वारा जारी किये गये पट्टे को दृष्टिगत रखते हुए तथा RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के तहत नये सिरे से अवार्ड का निर्धारण करे। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थन कार्यालय की मूल अवार्ड पत्रावली कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।


(अरुण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(अरुण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द